(घ) क्या भारत से जो छात्र विदेशों में अध्ययन करने जाते हैं, उन्हें ऐसे विशेष देश की राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है और यदि हां, तो किन-किन देशों में हमारे छात्रों पर यह शर्त लागू की जाती है और उन देशों की भाषाओं के नाम क्या-क्या हैं जो उन्हें सीखनी पड़ती हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) से (घ) सरकार द्वारा भारतीय दूतावासों/उच्चायोग को ऐसे कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं, जिसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी में दक्षता की शर्त निर्धारित की गई हो। अधिकांश विदेशी छात्र भारत में औषध, इंजीनियरी, कृषि, फार्मेसी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, जिनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। जो छात्र सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, वे भी सामान्यतः ऐसी संस्थाओं का चयन करते हैं जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है। तथापि, सभी विदेशी छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए विदेशी छात्रों को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशिष्ट प्रबन्ध नहीं किए गए हैं।

सरकार ने विदेशी राष्ट्रिकों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के दिल्ली केन्द्र में हिन्दी का शिक्षण देने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यह संस्थान प्रारंभिक और उच्च दोनों स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जहां तक अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च पाठ्यक्रमों का संबंध है विदेशी छात्र विश्वविद्यालयों में या तो सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के आधार पर अथवा स्वयं वित्त पोषण के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

मंत्रालय को फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य और मंगोलिया के बारे में जानकारी है, जो इन देशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए अपनी राष्ट्रीय भाषा (क्रमशः फ्रेंच, जर्मनी तथा मंगोली) के ज्ञान की अपेक्षा करते हैं।

विदेशी अभिकरणों द्वारा नेत्र-चिकित्सकों को अनुदान दिया जाना

1469. **श्री शरद यादव**: क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेत्र चिकित्सकों को आयोजित-शिविरों में कार्य करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय या विदेशी संस्थाओं से कुछ अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना अनुदान मिलता है;

(ग) खुर्जा (उत्तर प्रदेश) नेत्र शिविर से संबंधित राजस्थान के डाक्टर सहाय या उनके अस्पताल को अब तक विदेशों से कितना अनुदान मिला है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि डा० सहाय ने अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिकाधिक आपरेशन किए हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) रायल कामनवेल्थ सोसायटी फार ब्लाइंडनेस जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां नेत्र शिविर लगाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रति रोगी के हिसाब से वित्तीय सहायता देती। जहां तक रायल कामनवेल्थ सोसायटी फार ब्लाइडनेस का संबंध है, अनुदान की रकम वही है जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन देय है, अर्थात् 60 रुपए प्रति इंटाक्युलर आपरेशन है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता से कोई संबंध नहीं है ।

(घ) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खुर्जा नेत्र शिविर में घटी दुर्घटना की विभागीय तथा न्यायिक दोनों जांचों से यह पता नहीं चलता है कि डा० सहाय ने अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में आपरेशन किए थे।

Close circuit colour T.V. sets at railway stations

1470. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal under their consideration to instal Close-Circuit Colour T.V. sets at all railway stations in the country;

(b) what are the places where the Close-Circuit Colour T.V. sets have been supplied and the criteria of selecting stations for the same; and

(c) by when railway stations in Maharashtra are likely to have this facility?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) No, Sir.

(b) and c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Persons killed in road accidents

1471. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) The number of persons killed in road accidents during the last three years, year-wise;

(b) what is the total amount of compensation paid for, in such cases of accidents; and

(c) whether Government propose to introduce any measures to decrease the road accidents in view of the increasing road traffic?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a)

Year	No. of persons killed in road accidents
1983	31874
1984	35257
1985	37036 (Provisional Data)

(b) Compensation in each case is decided by the Motor Accident Claim Tribunals set up by the State Governments/Union Territory Administrations. Information about total compensation awarded by these tribunals for accidents during the years 1983 to 1985 is not available in one place. As for the Solatium Claims in respect of hit-and-run motor accidents the Solatium paid by Settlement Commissioners in the State/UTs has been:—

Rs. in lakhs

1983-84	3 97
1984-85	9.30
1985-86	15 44

(c) The steps taken on a continuing basis to reduce accidents are tightening of rules and regulations for issue of driving licences, strict medical tests, vehicle certification tests, enforcement of safe axle weights, geometric inter-section improvements.

Media of instruction in Navodaya schools in Tamil Nadu

1472. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government would ensure that Tamil and English would be the media of instruction in Navodaya Vidyalayas to be located in Tamil Nadu;

(b) the steps Government have taken not to indirectly impose Hindi in Tamil Nadu; and